सं0सं0–7/प्रा0–01–01/2017– 107(7)9

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी संबंधित सिविल सर्जन
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक :07-12-2017

विषयः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–0001–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड– 20–2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹1,04,64,19,045/– (एक अरब चार करोड़ चौसठ लाख उन्नीस हजार पैतालीस) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या–16(7)ब दिनांक–15.05.17, 23(7)ब दिनांक–26.05.17, 31(7)ब दिनांक–07.07.17, 37(7)ब दिनांक–20.07.17, 43(7)ब दिनांक–17.08.17, 55(7)ब दिनांक–04.09.17, 58(7)ब दिनांक–07.09.17 एवं 62(7)ब दिनांक–18.09.17, 65(7)ब दिनांक–21.09.17, 76(7)ब दिनांक–25.09.17, 87(7) ब दिनांक–13.10.17 एवं 91(7)ब दिनांक–17.10.17 93(7)ब दिनांक–18.10.17 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–2018 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹1,04,64,19,045/– (एक अरब चार करोड़ चौसठ लाख उन्नीस हजार पैतालीस) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–0001–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड – 20–2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम औषधालय एवं जिला प्रशिक्षण दल के कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे । इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी । एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

5. आहार/पथ्य, वाहन का इंधन एवं रखरखाव, सामग्री–पूर्त्तियाँ, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। साथ ही विभाग द्वारा जिस संस्थान को जो राशि आवंटित की जा रही है उसी संस्थान में व्यय सुनिश्चित की जाय । इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी ।

7. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

10. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक– 15.03.2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

11. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रकिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

12. मकान किराया के भुगतान के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कोषागार पदाधिकारी से पूर्व में भुगतान नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही राशि का व्यय सुनिश्चित करेंगे । सक्षम पदाधिकारी का मकान किराया निर्धारण आदेश एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग का भवन अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की मूल प्रति से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करेंगे ।

13. मकान किराया का भुगतान सिर्फ उन्हीं संस्थानों को किया जायेगा जिनका किराया की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गयी हो । जिनकी स्वीकृति विभाग द्वारा प्राप्त नहीं हो उनका भुगतान बिना स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा ।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं विभागीय राज्यादेश संख्या–1307 (21) दिनांक–19.11.86 में निर्धारित दर (अधिकतम 10,000/–) दस हजार रूपये वार्षिक में से जो कम हो का ही भुगतान करेंगे । इसमें किसी प्रकार की अनियमितता होगी तो इसके लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोषी होंगे ।

15. वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय।

16. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

17. संविदा सेवाएँ (28–02) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे ।

18. सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में आवंटित राशि से सतरंगी चादर संबंधित भुगतान की राशि भी सम्मिलित है ।

19. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

20. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(signature) 7/12/17

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 107(7)9 पटना, दिनांक : 07-12-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–3, 7/प्रशाखा पदाधिकारी, / आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

(signature) 7/12/17

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में बिहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ग्राम औषधालयों (विपत्र कोड 20–2210031030001) का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव (13–02)	दूरभाष (13–03)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी/ पोषाक (13–06)	किराया महशूल एवं कर (14–01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	दवा भंडार (21–02)	आहार/ पथ्य (21–03)	संविदा सेवाएँ (28–02)	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	पटना	20000000	50000000	40000	500000	20000	20000	70580000	480374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71060374	8068/7.10.17
2	भोजपुर	2000000	2200000	26000	0	26000	21801	4273801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4273801	3410/11.11.17
3	दरभंगा	52000000	70720000	520000	0	52000	104000	123396000	0	50000	50000	0	0	100000	100000	0	0	0	0	500000	30000000	0	154196000	1555/4.10.17
4	जमुई	15000000	19500000	150000	0	15000	30000	34695000	0	0	0	0	0	100000	0	50000	100000	200000	1000000	200000	0	0	36345000	2453/22.9.17
5	बेगुसराय	9000000	12240000	90000	0	9000	18000	21357000	0	0	20000	0	0	0	0	20000	0	0	1000000	4000000	40000000	0	66397000	2962/23.9.17
6	बाँका	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	8000000	0	0	500000	9300000	2421/20.9.17
7	औरंगाबाद	16000000	21760000	160000	0	16000	32000	37968000	0	0	0	50000	0	100000	50000	25000	150000	200000	1000000	500000	20000000	200000	60243000	2406/24.10.17
8	लखीसराय	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	20000	0	0	100000	0	0	0	0	0	200000	0	0	325000	1260/14.10.17
9	शिवहर	4000000	5440000	40000	0	4000	8000	9492000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9492000	965/11.9.17
10	नवादा	4400000	5984000	44000	0	4400	8800	10441200	116820	0	100000	200000	0	0	0	0	100000	800000	0	0	18000000	0	29758020	2748/17.10.17, 3192/27.11.17
11	भागलपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	100000	100000	20000	100000	200000	1000000	500000	20000000	100000	22220000	3103/30.10.17
12	रोहतास	15000000	20400000	150000	0	15000	30000	35595000	0	20000	20000	0	0	100000	50000	7700	100000	100000	1000000	0	5000000	0	41992700	2522/1.11.17
13	नालन्दा	25000000	34000000	250000	0	25000	50000	59325000	0	0	20000	0	0	100000	0	0	100000	0	0	600000	40000000	0	100145000	3051/24.10.17
14	जहानाबाद	10000000	13600000	100000	0	10000	20000	23730000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23730000	2236/24.10.17
15	मधेपुरा	3300000	4488000	33000	0	3300	6600	7830900	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	200000	1000000	500000	2000000	0	11630900	1130/14.10.17
16	अरवल	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	500000	0	0	0	0	100000	0	0	300000	5000000	0	5950000	1010/23.10.17
17	गोपालगंज	10000000	13000000	100000	0	10000	20000	23130000	0	0	20000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	23250000	2283/10.10.17
18	वैशाली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	1000000	1954/10.10.17
19	मुजफ्फरपुर	42000000	56700000	420000	0	42000	84000	99246000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99246000	2914/9.10.17, 3412/25.11.17
20	खगड़िया	10000000	13500000	100000	0	10000	20000	23630000	0	25000	25000	0	9250	100000	56000	50000	100000	100000	100000	300000	1000000	0	25495250	2134/4.10.17
21	गया	30000000	40500000	300000	0	30000	60000	70890000	0	20000	20000	0	0	100000	0	20000	100000	100000	5000000	500000	10000000	0	86750000	2641/11.8.17, 3874/20.11.17
22	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000000	2000000	0	0	10000000	2634/2.11.17
23	सारण	15000000	20250000	150000	0	15000	30000	35445000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000000	0	75445000	2134/4.10.17
24	बेतिया	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	50000	50000	0	0	0	0	0	800000	0	800000	20000000	800000	22510000	1917/7.10.17
25	मुंगेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	8000000	0	5000000	0	13010000	1934/17.11.17
26	समस्तीपुर	10000000	13500000	100000	0	10000	20000	23630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23630000	1954/11.09.17
27	सहरसा	8000000	10800000	80000	0	8000	16000	18904000	0	10000	10000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	19024000	2291/22.11.17
	कुल	300700000	428582000	2853000	500000	324700	599201	733558901	597194	190000	415000	850000	9250	1200000	356000	192700	950000	3500000	36100000	10900000	256000000	1600000	1046419045	

(एक अरब चार करोड़ चौसठ लाख उन्नीस हजार पैंतालीस) रू0 मात्र

107(7)9
07-12-17

(हस्ताक्षर) 7/12/17
सरकार के विशेष सचिव

<u>उपबंध की स्थिति</u>

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001–01–01)	2697650000	2369973000	300700000	2670673000	26977000
2	जीवन यापन भत्ता (0001–01–03)	3697230000	3219404160	428582000	3647986160	49243840
3	मकान किरोया भत्ता (0001–01–04)	34660000	30902500	2853000	33755500	904500
4	परिवहन भत्ता (0001–01–05)	1720000	1142000	500000	1642000	78000
5	चिकित्सा भत्ता (0001–01–06)	31470000	30468900	324700	30793600	676400
6	अन्य भत्ता (0001–01–07)	32270000	30823774	599201	31422975	847025
7	त्यौहार अग्रिम (0001–01–08)	5000000	0	0	0	5000000
	योग 20-2210.03.103.0001.01-वेतन	**6500000000**	**5682714334**	**733558901**	**6416273235**	**83726765**
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001–06–01)	2000000	1399280	597194	1996474	3526
9	यात्रा व्यय (0001–11–01)	2000000	1360600	190000	1550600	449400
10	कार्यालय व्यय (0001–13–01)	7700000	4940000	415000	5355000	2345000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव(0001–13–02)	5500000	3470000	850000	4320000	1180000
12	दूरभाष (0001–13–03)	1000000	990750	9250	1000000	0
13	विद्युत प्रभार (0001–13–04)	40000000	38695000	1200000	39895000	105000
14	विधि प्रभार (0001–13–05)	2000000	1535900	356000	1891900	108100
15	वर्दी / पोषाक (0001–13–06)	6390000	3188500	192700	3381200	3008800
16	किराया महसूल एवं कर (0001–14–01)	5900000	4370500	950000	5320500	579500
17	प्रशिक्षण व्यय (0001–20–03)	45000000	0	0	0	45000000
17	सामग्री एवं पूर्तियॉं (0001–21–01)	38500000	22594500	3500000	26094500	12405500
18	दवा भंडार (0001–21–02)	660000000	569594985	36100000	605694985	54305015
19	आहार / पथ्य (0001–21–03)	100000000	55703000	10900000	66603000	33397000
20	लघु कार्य (0001–27–01)	1000	0	0	0	1000
21	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001–27–02)	10000000	0	0	0	10000000
22	संविदा सेवाएॅं (0001–28–02)	2000000000	1379240000	256000000	1635240000	364760000
23	मशीने एवं उपस्कर (0001–52–01)	30000000	16421000	1600000	18021000	11979000
	कुल योगः–	**9455991000**	**7786218349**	**1046419045**	**8832637394**	**623353606**

107(7)9
07-12-17

[signature] 7/12/17
सरकार के विशेष सचिव